राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./82614/2015/पार्ट–III जयपुर, दिनांक : 25 APR 2016.

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत रोजगार की मांग दर्ज किये जाने के संबन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंजीकृत परिवार को उसकी मांग के अनुरूप प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 के पैरा 10 में प्रावधान है कि रोजगार की मांग उसकी हकदारी के अनुरूप एकसाथ भी की जा सकती है, जिसका सीधा अभिप्राय है कि परिवार द्वारा 100 दिवस की मांग एकसाथ परन्तु अलग–अलग समय के लिए भी की जा सकती है।

राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ स्थानों पर एक साथ रोजगार की मांग के आवेदन स्वीकार नही किये जा रहे है। इस संबन्ध में यह निर्देशित किया जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इस प्रकार की मांग को नियमानुसार स्वीकार किया जावे एवं इसकी पावती रसीद संबन्धित को उपलब्ध करायी जावे। उल्लघंन करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्यवाही सम्पादित की जावे।

भवदीय

आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, रागरत।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान जयपुर/बाडमेर।
3. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा योजना राजस्थान, समस्त।
4. रक्षित पत्रावली।

25/4/2016

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस